



उ० प्र० पावर कारपोरेशन अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट

14-अशोक मार्ग, शक्ति भवन (वि०),

लखनऊ

Email id: cpftrust.2004@gmail.com

Website-www.uppst.org

पत्र सं०: /47/सी०पी०एफ० ट्रस्ट/नि०नि०/2019

दिनांक :- 14/02/2022

कार्यालय-ज्ञाप

प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र०पा०का०लि० के पत्र सं०-325/पत्रांक-पी०सी०एल०/सी०ए०/एन०-325/वी०-1 दिनांक-24.12.2021, पत्र सं०-327/उ०म०प्र०/मान०सेल/18/ई०आर०पी० प्रणाली दिनांक-30.12.2021 एवं पत्र सं०-02/उ०म०प्र०/मान०सेल/18/ई०आर०पी० प्रणाली दिनांक 05.01.2022 के माध्यम से सभी प्रकार के भुगतानों के सम्बन्ध में सभी वितरण कम्पनियों के निदेशक (वित्त) के नियंत्रणाधीन केन्द्रीय भुगतान प्रकोष्ठ का गठन कर केन्द्रीय भुगतान से सम्बन्धित कार्यवाही कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त के अनुपालन में उ०प्र०पा०का०लि० एवं उसकी सहयोगी कम्पनियों यथा-डिस्कॉम वाराणसी/लखनऊ/आगरा/मेरठ/कानपुर तथा उ०प्र०पा०ट्रां०का०लि० में कार्यरत अंशदायी भविष्य निधि योजना से आवरित कार्मिकों के सी०पी०एफ० अग्रिम/अन्तिम भुगतान की धनराशि कार्मिकों/दावेदारों के बैंक खातों में सीधे ट्रस्ट द्वारा अंतरित की जानी है।

उक्त के दृष्टिगत ट्रस्ट कार्यालय में ERP प्रणाली Go-live होने तक अंशदायी भविष्य निधि अग्रिम/अन्तिम भुगतान हेतु Format 'A' एवं Format 'B' (संलग्नक-1 एवं 2) प्रारूप में मांगपत्र प्रेषित करने की प्रचलित वर्तमान व्यवस्था (संलग्नक-3) के अनुसार ट्रस्ट कार्यालय को Hard Copy में प्रेषित किये जायेगे। साथ ही मांगपत्र की Soft Copy ट्रस्ट कार्यालय की Email Id-cpftrustdemand@gmail.com पर Excel प्रारूप में भी प्रेषित की जायेगी। मांगपत्र के सापेक्ष सम्बन्धित कार्मिक/दावेदार के बैंक खाते में अग्रिम/अन्तिम भुगतान की धनराशि का अंतरण Hard Copy प्राप्त होने के पश्चात् ही किया जायेगा।

उक्त व्यवस्था ERP प्रणाली Go-live होने के पश्चात् स्वतः ही समाप्त हो जायेगी। Go-live होने के पश्चात् समस्त कार्यवाही ERP प्रणाली के माध्यम से ही सम्पादित की जायेगी।

उक्त के सम्बन्ध में मांगपत्र अग्रसारित करने वाले अधिकारी के निम्नलिखित दायित्व होंगे:-

1. मांगपत्र के साथ अग्रिम स्वीकृति का कार्यालय ज्ञाप/अन्तिम भुगतान के प्राधिकार पत्र की पदनीय छायाप्रति संलग्न किया जाना आवश्यक है एवं अग्रिम स्वीकृति का कार्यालय ज्ञाप/अन्तिम भुगतान के प्राधिकार पत्र में कार्मिक/दावेदार का नाम, सैप आई०डी० (निर्गत होने की स्थिति में), बैंक विवरण यथा बैंक का नाम, खाता सं०, आई०एफ०एस० कोड (ERP में उपलब्ध बैंक विवरण से मिलान कर) अंकित किया जाना अनिवार्य है।
2. मांगपत्र के साथ कार्मिक/दावेदार (जिनकी SAP ID आवंटित नहीं है) के बैंक खाते के निरस्त चैक/पासबुक की छायाप्रति संलग्न किया जाना अनिवार्य है।
3. मांगपत्र में कार्मिक/दावेदार का बैंक विवरण ERP डाटा/निरस्त चैक (जिनकी SAP ID आवंटित नहीं है) आदि से जांच करने के पश्चात् ही अंकित करें, अन्यथा गलत बैंक विवरण अंकित करने की स्थिति में गलत खाते में भुगतान हो जाने पर सम्पूर्ण जिम्मेदारी मांगपत्र अग्रसारित करने वाले अधिकारी की होगी।
4. जिन कार्मिकों के ERP से Mapped बैंक खाते का आई०एफ०एस० कोड किसी भी परिस्थिति में परिवर्तित होता है, तो उसे ERP पर Upload कराया जाना सुनिश्चित किया जाए।
5. मांगपत्र प्रेषित करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि कार्मिक को सी०पी०एफ० अग्रिम की स्वीकृति केवल कार्मिक अंशदान के अवशेष से ही की गयी है।
6. ट्रस्ट कार्यालय द्वारा सी०पी०एफ० अग्रिम/अन्तिम भुगतान धनराशि अवमुक्त किये जाने की सूचना मांगपत्र अग्रसारित करने वाली इकाई को प्रेषित की जायेगी, जिसके आधार पर सी०पी०एफ० अग्रिम (रिफण्डेबल) की वापसी हेतु कार्मिक के वेतन से कटौती सम्बन्धित इकाइयों के माध्यम से कराने की कार्यवाही मांगपत्र अग्रसारित करने वाले अधिकारी द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

उक्त व्यवस्था आदेश निर्गमन की तिथि से लागू होगी।

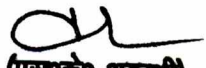
संलग्नक:-यथोपरि।

अध्यक्ष (ट्रस्ट)

पत्र सं०:-157/47/सी०पी०एफ० ट्रस्ट/नि०नि०/तददिनांक:-

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र०पा०का०लि०/उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, पूर्वांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०/केस्को, वाराणसी/लखनऊ/आगरा/मेरठ/कानपुर।
4. निदेशक (वित्त), उ०प्र०पा०का०लि०/उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०), उ०प्र०पा०का०लि०/उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. निदेशक (वित्त/का० एवं प्रशा०), पूर्वांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०/केस्को, वाराणसी/लखनऊ/आगरा/मेरठ/कानपुर।
7. समस्त कार्मिक ट्रस्टीज, उ०प्र०पा०का०लि० अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट।
8. अधिशासी निदेशक (वित्त एवं लेखा), उ०प्र०पा०का०लि०/उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
9. मुख्य महाप्रबन्धक (लेखा एवं सम्प्रेक्षा), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
10. महाप्रबन्धक (लेखा एवं सम्प्रेक्षा)/उपमहाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा), पूर्वांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी/लखनऊ/आगरा/मेरठ।
11. समस्त मुख्य अभियंता, उ०प्र०पा०का०लि०/उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०/पूर्वांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०/केस्को।
12. समस्त उपमहाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा), उ०प्र०पा०का०लि०/उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
13. समस्त उपमुख्य लेखाधिकारी, परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय (वितरण), पूर्वांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०।
14. उपसचिव, उ०प्र० पावर कारपोरेशन अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट, शक्ति भवन वि०, लखनऊ।
15. अधिशासी अभियंता (वेब), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
16. समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी, उ०प्र०पा०का०लि०/उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०/पूर्वांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०/केस्को।
17. लेखाधिकारी (सामग्री प्रबन्ध), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, महानगर, लखनऊ।
18. लेखाधिकारी, पारेषण (मध्य)/पारेषण (उत्तर-पूर्व)/पारेषण (दक्षिण-पूर्व)/पारेषण(पश्चिम)/पारेषण (दक्षिण-मध्य)/पारेषण (दक्षिण-पश्चिम), लखनऊ/गोरखपुर/प्रयागराज/ मेरठ/ झांसी/ आगरा।
19. लेखाधिकारी (सी०पी०एफ०), पूर्वांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०/केस्को, वाराणसी/लखनऊ/आगरा/मेरठ/कानपुर।
20. लेखाधिकारी (मुख्यालय भुगतान/केन्द्रीय भुगतान प्रकोष्ठ), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन वि०, लखनऊ।
21. लेखाधिकारी, मुख्यालय भुगतान इकाई, उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन वि०, लखनऊ।
22. लेखाधिकारी (प्रथम/द्वितीय), उ०प्र०पा०का० लि० अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट, शक्ति भवन वि०, लखनऊ।


(एस०के० अवस्थी)
सचिव (ट्रस्ट)

(संलग्नक-१)

[illegible]

Total (In Words)

Signature.....

(Name of Demand Forwarding Officer)

Designation

Mobile No.

(संलग्नक-२)

[illegible]

Signature _____

(Name of Demand Forwarding Officer) _____

[illegible]

ERP प्रणाली Go-live होने तक अंशदायी भविष्य निधि अग्रिम/अन्तिम भुगतान हेतु मांगपत्र Format 'A' एवं Format 'B' प्रारूप में ट्रस्ट कार्यालय को प्रेषित करने की प्रचलित व्यवस्था।

क्रम सं०	इकाई/कम्पनी का नाम	अग्रिम भुगतान से सम्बन्धित मांगपत्र अग्रसारित करने वाली इकाई	अन्तिम भुगतान से सम्बन्धित मांगपत्र अग्रसारित करने वाली इकाई
1.	उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन मुख्यालय में कार्यरत कर्मिकों के सम्बन्ध में	मुख्यालय भुगतान इकाई, शक्ति भवन, विस्तार लखनऊ	अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट कार्यालय
2.	परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय (सा०प्र०), महानगर लखनऊ की अधीनस्थ इकाइयों में कार्यरत कर्मिकों के सम्बन्ध में	परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय (सा०प्र०), महानगर लखनऊ	
3.	उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०, शक्ति भवन मुख्यालय में कार्यरत कर्मिकों के सम्बन्ध में	पारेषण मुख्यालय भुगतान इकाई	
4.	उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०, मुख्यालय में कार्यरत कर्मिकों के अतिरिक्त अन्य पारेषण इकाइयों में कार्यरत कर्मिकों के सम्बन्ध में	सम्बन्धित परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय	
5.	डिस्कॉम लखनऊ/मेरठ/वाराणसी/आगरा की अधीनस्थ समस्त इकाइयों में कार्यरत कर्मिकों के सम्बन्ध में	सम्बन्धित डिस्कॉम मुख्यालय में गठित सी०पी०एफ० प्रकोष्ठ	
6.	केस्को, कानपुर की अधीनस्थ इकाइयों में कार्यरत कर्मिकों के सम्बन्ध में	केस्को, कानपुर मुख्यालय में गठित सी०पी०एफ० प्रकोष्ठ	